

न्यायालय— शरद जोशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंजड जिला
बडवानी म.प्र.

आप0प्र0क0— 182 / 2018
आर.सी.टी. कं. 173 / 18
संस्थापन दिनांक—07.05.2018

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र ठीकरी,
जिला बडवानी म0प्र0

.....अभियोगी

विरुद्ध

संजय पिता मयाराम उम्र 31 साल,
निवासी रणगांव रोड थाना व तहसील राजपुर,
जिला बडवानी म0प्र0

.....अभियुक्त

// निर्णय //
(आज दिनांक 07.05.2018 को घोषित)

01— अभियुक्त संजय पिता मयाराम के विरुद्ध भादवि0 की धारा— 279, 337 के अंतर्गत दिनांक 02.02.2018 को समय 01:00 बजे से 18.00 बजे के मध्य थाना बरुफाटक घोलानिया फाटा,घोलानिया ठीकरी पहुंचा तो वाहन डायल 100 कं. एम.पी. 04 टी.ए. 5881(एफ.आर.बी. 05) को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कर आहत भूरेसिंह व अनिल को टक्कर मार कर उपहति कारित करने का आरोप है।

02— प्रकरण में उल्लेखनीय तथ्य है कि, अभियुक्त के द्वारा स्वेच्छा पूर्वक अपराध स्वीकार किया गया है।

03— प्रकरण में अभियोजन कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि,दिनांक 02.02.2018 को लगभग 01.00 बजे फरियादी/आहत भूरेसिंह डायल 100 कं. एम.पी. 04 टी.ए. 5881(एफ.आर.बी. 05) में आरोपी चालक संजय पिता मयाराम व साथी चालक अनिल के साथ ए.बी.रोड घोलानिया फाटा पर रात्रि गस्त कर रहे थे, तब घोलानिया फाटा पर दो व्यक्ति एक मोटरसाईकिल लेकर खडे थे जो हमारी गाडी देखकर भागने लगे तब हमने उनकी गाडी से पीछा किया तब उक्त डायल 100 के चालक संजय के द्वारा गाडी

निरंतर.....

को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर ले गया एवं एक रोड के साईड लगे पिलर पर गाड़ी टकरा गयी जिससे उक्त गाड़ी पलटी खा गयी तथा फरियादी भूरेसिंह को गर्दन व पीट पर व अनिल को सिर व हाथ, पैर में चोट लगी। थाने पर आकर आरोपी संजय पिता मयाराम के विरुद्ध थाने के अप0 क्र0 0029/18 पर प्रथम सूचना पंजीबद्ध किया गया। आरोपी को गिरफ्तार न किये जाने की दशा में आरोपी को नोटिस दिया गया तथा उसकी सूचना न्यायालय में प्रेषित की है। वाहन को जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। वाहन मालिक को धारा 133 मो.वि.एक्ट का सूचना पत्र दिया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना उपरांत आरोपी संजय पिता मयाराम के विरुद्ध अभियोग पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपी संजय पिता मयाराम ने अपराध स्वीकार किया। अभियुक्त को दंड का परिणाम से अवगत कराया गया और उसे समझाया गया कि वह संस्वीकृती करने के लिये आबद्ध नहीं है। किन्तु अभियुक्त के द्वारा अपराध समझने के उपरांत प्रश्नगत दिनांक को वाहन डायल 100 क्रं. एम.पी. 04 टी.ए. 5881(एफ.आर.बी. 05) को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कर आहत भूरेसिंह व अनिल को टक्कर मार कर उपहति कारित करना स्वीकार किया है। अतः स्वेच्छापूर्ण की गई संस्वीकृती के आधार पर अभियुक्त को भा.द.सं की धारा 279, 337 के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

05— अभियुक्त को भा.द.सं. की धारा 279 एवं 337 के आरोप में कमशः 1000/- रु एवं 500/- रु के अर्थदण्ड से एवं न्यायालय उठने की सजा से दंडित किया जाता है। अर्थदंड की राशि अदा नही किये जाने पर कमशः 07 एवं 03 दिवस का प्रथक प्रथक कारावास भुगताया जावे।

06— प्रकरण में जप्त शुदा वाहन डायल 100 क्रं. एम.पी. 04 टी.ए. 5881(एफ.आर. बी. 05) पूर्व से पंजीकृत स्वामी बी.बी.जी. इंडिया लिमिटेड बी.बी.जी. हाउस पूणे मुम्बई रोड चिचवाडा पूणे तर्फे आम मुख्तयार अर्पित व्यास की सुपुर्दगी पर है उक्त

आप.प्र.क्र. 182/2018
// 3 // आर.सी.टी.क्र. 173/18
संस्थापन दिनांक 07.05.2018

सुपुर्दगीनामा अपील अवधी पश्चात् भारमुक्त हो। अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
व दिनांकित कर घोषित किया गया

सही / —

(शरद जोशी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
अंजड जिला बडवानी म0प्र0

मेरे निर्देशन व बोलने पर
टंकित किया गया।

सही / —

(शरद जोशी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
अंजड जिला बडवानी म0प्र0